रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 1994/भाद्र 31, 1916
No. 480] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 1994/BHADRA 31, 1916

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
(एस. आर. डैस्क)
आदेश
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 82 की उपधारा (2) के अधीन भूतपूर्व संयुक्त पंजाब राज्य के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) मे उल्लिखित कर्मचारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके नामों के सामने उल्लिखित आदेशों द्वारा और स्तंभ (3) में उल्लिखित पदनामों सहित, तत्कालिक हिमाचल प्रदेश संघराज्य क्षेत्र (जो अब हिमाचल प्रदेश राज्य है), पुलिस विभाग, को अंतिम रूप से आवंटित किये गये थे, अर्थात्:—

सारणी

आवंटित किये गये कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित अंतिम आवंटन आदेशों की विशिष्टियां	अंतिम आवंटन आदेश में दर्शित पदनाम	1-11-1966 को आवंटित किये गए कर्मचारी का सही पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
श्री दयावत सिंह (सं. 30/1)	गृहमंत्रालय का आदेश 22/28/68-एस.आर. (एस)/(3), तारीख 31 मई, 1968	निरीक्षक	उप-निरीक्षक
श्री आत्मा राम जोशी (सं. 264/ए.एस. आर.)	गृह मंत्रालय का आदेश सं. 22/28/68-एस. आर. (एस)/(2) तारीख 31 मई, 1968	उप-निरीक्षक	सहायक उप-निरीक्षक
श्री द्वारका दास कालिया (सं. 37/एन के (एल.)	गृह मंत्रालय का आदेश सं. 22/28/68-एस.आर. (एस)/(3), तारीख 31 मई, 1968	उप-निरीक्षक	हैड कांस्टेबल
श्री बहादुर सिंह (सं.पी.ए.पी-209)	गृह मंत्रालय का आदेश सं. 22/28/68-एस. आर. (एस)/(3), तारीख 31 मई, 1968	निरीक्षक	उप-निरीक्षक

और हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि प्रथम परा के नीचे सारणी के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) स्तंभ (3) में उल्लिखित अधिकारियों के उसमें उल्लिखित उनके अपने-अपने आवंटन आदेशों मे दिये गये पदनाम वस्तुतः सही नहीं थे और वे ऐसे होने चाहिए जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में उपदर्शित हैं;

और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सुसंगत सेवा अभिलेखों के प्रति निर्देश करने के पश्चात पर्याप्त स्थिति सही पाई गई थी।

और केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश सं. 22/28/68-एस.आर. (एस)(1), (2) और (3), तारीख 2 मार्च, 1989 द्वारा संशोधन जारी

किये जिसके द्वारा उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उनके अपने-अपने अंतिम आवंटन आदेशों में उल्लिखित पदनामों के स्थान पर उसके स्तंभ (4) में उल्लिखित पदनाम रखे गये और संबंधित अधिकारियों की उनके समुचित काडरों में ज्येष्ठता की स्थिति पुनःनियत की गई;

और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उक्त उपबन्धों के अधीन जारी किये गये कार्मिकों के आवंटन/पुनः आवंटन के सभी आदेश, नीति संबंधी विषय के रूप में भूतपूर्व संयुक्त पंजाब राज्य के पुनर्गठन की तारीख, अर्थात् 1 नवम्बर, 1966 से प्रभावी किये गये हैं ;

और केन्द्रीय सरकार को यह बताया गया है कि यह आवश्यक और वाञ्छनीय था कि प्रभावित कर्मचारियों को यदि उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना हो तो पूर्वोक्त परिवर्तनों के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, करने का अवसर दिया जाये और अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे आक्षेपों पर विचार किया जाये;

और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूतपूर्व संयुक्त पंजाब राज्य और भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र जो अब हिमाचल प्रदेश राज्य है, के ऐसे सभी संबंधित कर्मचारियों को, जो 1 नवम्बर, 1966 से तत्कालीन हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस विभाग के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक, हैड कांस्टेबल के काडरों में अंतिम रूप से आवंटित किये गये थे, यह सूचना दी गई थी कि यदि उनमें से कोई तारीख 31 मई, 1968 के पूर्वोक्त आदेशों में किये गये पदनामों में संशोधनों से व्यथित है तो वह भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना स. का. आ. 451(अ), तारीख 9 जुलाई, 1991 के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उनके विरुद्ध अभ्यावेदन करे जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रति शिकायत या आक्षेपों का सार स्पष्ट शब्दों में कथित किया गया हो, उसके समर्थन में कारण और दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, दिया गया हो तथा ऐसे अभ्यावेदन की एक-एक प्रति पूर्वोक्त अवधि के भीतर (i) आयुक्त तथा सचिव (एकीकरण), हिमाचल प्रदेश सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, अनुभाग ख, शिमला और (ii) डैस्क अधिकारी, एस.आर. सैल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्वयं दे या उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे;

और केन्द्रीय सरकार का, ऐसे दो कर्मचारियों से प्राप्त आक्षेपों पर सावधानिपूर्वक विचार करने पर, उन पर राज्य सरकार की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह समाधान हो गया है कि आक्षेप तारीख 9 जुलाई, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में यथा प्रस्तावित पदनामों के भूतलक्षी तारीख से परिशोधन के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि वे ज्येष्ठता जैसे अन्य पहलुओं के विरुद्ध हैं, अतः इस संशोधन से राज्य सरकार के किसी कर्मचारी पर अंतिम आवंटन आदेश के संशोधनों का भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1996 का 31) की धारा 82 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 2 मार्च, 1989 के आदेश संख्यांक 22/28/68-एस.आर. (एस.)(i) से (iii) का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तारीख 31 मई, 1968 के आदेश संख्यांक 22/28/68-एस.आर. (एस.) (i) से (ii) का उक्त सारणी में उपदर्शित रीति से 1 नवम्बर, 1966 से संशोधन करती है ।

[संख्या 22/28/68-एस.आर. (एस.) खण्ड-4]

दिनेश चन्द्रा, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

गृह मंत्रालय ने, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 मई 1968 के अपने आदेश संख्या 22/28/68--एस.आर. (एस) (i), 22/28/68--एस.आर. (एस) (ii), 22/28/68--एस.आर. (एस.) (iii) द्वारा भूतपूर्व संयुक्त पंजाब राज्य के कतिपय कर्मचारियों को, जिसके अंतर्गत, अन्य कर्मचारियों में सर्व श्री दयावन्त सिंह, आत्मा राम जोशी, द्वारका दास कालिया और बहादुर सिंह हैं, तत्कालीन हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र (जो अब हिमाचल प्रदेश राज्य है) को पंजाब राज्य के पुनर्गठन की तारीख अर्थात् 1 नवम्बर, 1966 से अंतिम रूप से आवंटित किया गया था ।

2. हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1985 में यह रिपोर्ट दी कि ऊपर उल्लिखित चार कर्मचारियों के पदनामों को ऊपर उल्लिखित तारीख 31 मई, 1968 के तीन आदेशों में गलत रूप में दर्शित किया गया है और उनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 नवम्बर, 1966 से भूतलक्षी प्रभाव देकर परिशोधन करने की आवश्यकता है । केन्द्रीय सरकार ने संबंधित कर्मचारियों के सुसंगत सेवा अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् और राज्य सरकार द्वारा बताई गई स्थिति का सही होने का समाधान हो जाने पर, गृह मंत्रालय के तारीख 31 मई, 1968 के आदेशों का अपने तारीख 2 मार्च, 1989 के आदेशों द्वारा संशोधन किया ।

3. कार्मिकों के आवंटन/पुनः आवंटन के सभी आदेश, जिसके अंतर्गत पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अधीन जारी किए गए उसके संशोधन भी हैं, नीति संबंधी विषय के रूप में, भूतपूर्व संयुक्त पंजाब राज्य के पुनर्गठन की तारीख, अर्थात् 1 नवम्बर, 1966 से प्रभावी किए गए हैं । अतः ऊपर उल्लिखित चार कर्मचारियों के मामलों में पदनामों का परिशोधन भी 1 नवम्बर, 1966 से किया जाना अपेक्षित है ।

4. विधि मंत्रालय के निदेश पर, मामले को राज्य सभा अधीनस्थ विधायन समिति की जानकारी में लाया गया था । समिति ने अपनी छब्बीसवीं रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया कि ये कारण और परिस्थितियां बताते हुए, जिनसे नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने की आवश्यकता हुई एक स्पष्टीकारक ज्ञापन, कानून के अधीन शक्तियों के अनुसरण में जारी किए गए आदेशों से सलग्न किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए आवंटन के आदेशों, जिसके अंतर्गत उक्त आदेशों का संशोधन/शुद्धिपत्र भी है, द्वारा कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो । समिति ने यह भी निदेश दिया कि अधिसूचना की प्रतियां उनसे प्रभावित कर्मचारियों में परिचालित की जाए, जिन्हें असंगतियां, यदि कोई है, को बताने के लिए तीन मास का समय दिया जाए । समिति ने आगे यह वांछा की कि तत्पश्चात् मामले को उनकी जानकारी में लाया जाए ।

5. हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र (बाद में राज्य) को ऊपर उल्लिखित चार कर्मचारियों के अंतिम रूप से आवंटन करने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेशों का संशोधन करने का प्रस्ताव तदनुसार उन कर्मचारियों में परिचालित किया गया था, जिनके पदनाम में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना थी और उसके विरुद्ध तीन मास की अवधि के भीतर अभ्यावेदन/आक्षेप मांगे गए थे । तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दो कर्मचारियों से प्राप्त आक्षेपों की उनके संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियों के साथ, जांच की है । केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आक्षेप, ऊपर निर्दिष्ट गृह मंत्रालय के तारीख 31 मई, 1968 के आदेशों के भूतलक्षी तारीख से प्रस्तावित संशोधन द्वारा पदनामों का परिशोधन के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि वे ज्येष्ठता आदि जिनसे अन्य पहलुओं से संबंधित है, अतः संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव देने से राज्य सरकार के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

(SR DESK)

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 701(E).—Whereas the employees mentioned in Column (1) of the Table given below of the erstwhile composite State of Punjab were allotted finally to the then Union Territory of Himachal Pradesh, (now the State of Himachal Pradesh), Police Department, by the Central Government under sub-section (2) of Section 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), vide Orders mentioned against their names in column (2), and with designations as mentioned in column (3), of the said Table namely :—

TABLE

Name of the allotted employee	Particulars of the final allocation orders passed by the Central Government	Designation as shown in the final allocation order	Correct designation of the allotted employee as on 1-11-1966
(1)	(2)	(3)	(4)
Shri Dayawant Singh (No. 30/1)	Ministry of Home Affairs Order No. 22/28/68-SR(S)/(1) dated the 31st May, 1968	Inspector	Sub-Inspector
Shri Atma Ram Joshi (No. 264/ ASR)	Ministry of Home Affairs Order No. 22/28/68-SR(S)/(2) dated the 31st May, 1968	Sub-Inspector	Assistant Sub-Inspector
Shri Dwaraka Dass Kalia (No. 37/ NKL	Ministry of Home Affairs Order No. 22/28/68-SR(S)/(3) dated the 31st May, 1968	Sub-Inspector	Head Constable
Shri Bahadur Singh (No. PAP-209)	Ministry of Home Affairs Order No. 22/28/68-SR(S)/(3) dated the 31st May, 1968	Inspector	Sub-Inspector

And whereas the Government of Himachal Pradesh have reported to the Central Government that the designations of the officers as menioned in column (3) of the Table under the first paragraph (hereinafter referred to as the said Table) in the respective allocation orders mentioned therein, were factually not correct and should have been as indicated in Column (4) of the said Table ;

And whereas the aforesaid position was found to be correct after reference to the relvant service records made available by the State Government;

And whereas the Central Government issued amendments vide its orders bearing Nos. 22|28|88-SR(S) (1), (2) and (3), dated the 2nd March, 1989, substituting the designations mentioned in column (4) of the said Table for those mentioned in column (3) thereof, in the respective final allocation orders and refixing the position in seniority of the concerned officers in their appropriate cadres

And whereas as a matter of policy all the orders of allocation|re-allocation of personnel, issued under the said provisions of the Punjab Re-organisation Act, 1966, are given effect to from the date of reorganisation of the erstwhile composite State of Punjab, namely the 1st November, 1966;

And whereas it has been pointed out to the Central Government that it was necessary and desirable to give opportunity to the affected employees to make representations, if any, against the aforesaid changes in case they would be adversely affected and to consider such objections before passing the final orders;

And whereas, in exercise of the powers contained in sub-sections (1) and (2) of section 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, notice was given to all the employees concrened of the erstwhile composite State of Punjab and the erstwhile Union Terrtiory of Himachal Pradesh, now the State of Himachal Pradesh, allotted fially to the cadres of Inspectors; Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors and Head Constables of the Police Department in the then Union territory of Himachal Pradesh with effect from the 1st November, 1966 that in case any of them was aggrieved by the amendments in designations made in the aforesaid orders dated the 31st May, 1968, he may make a representation against it within a period of three months from the date of publication of the

Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Notification No. S.O. 454(E) dated the 9th July, 1991 stating in clear terms the substance of the grievance or objections to the changes in question, giving reasons and documentary evidence, if any, in support thereof and deliver one copy each of such representation in person or send the same by registered post, within the aforesaid period, to (i) the Commissioner-cum-Secretary (Integration), Government of Himachal Pradesh, General Administration Department, Section B, Shimla and (ii) the Desk Officer, SR Cell, Department of Personnel and Training, Government of India, New Delhi ;

And whereas the Central Government on careful consideration of the objections, received from two such employees and in the light of the comments of the State Government thereon, is satisfied that the objections are not against the rectification of designations as proposed in the above mentioned Notification dated the 9th July, 1991, from a retropective date, but against other aspects like seniority and, as such, the amendment will not affect adversely any State Government employee on the amendments of the final allotment order being given retrospective effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and in supersession of the Government of India in the Department of Personnel, and Training order numbers 22|28|68-SR(S) (i) to (iii) dated the 2nd March, 1989 the Central Government hereby amends, with effect from the 1st November, 1966, the Government of India in the Ministry of Home Affairs orders numbers 22|28|68-SR(S) (1) to (3) dated the 31st May, 1968 in the manner indicated in the said Table.

[No. 22|28|68|SR(S) Vol. IV]

DINESH CHANDRA, Addl. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 82 of the Punjab Re-organisation Act, 1966, the Ministry of Home Affairs vide its orders bearing Nos. 22|28|68-SR(S) (1), 22|28|68-SR(S) (2), 22|28|68-SR(S) (3) dated the 31st May, 1968 finally allotted certain employees of the erstwhile composite State of Punjab including, among others, S|Shr Dayawant Singh, Atma Ram Joshi, Dwarka Dass Kalia, and Bahadur Singh to the then Union Territory of Himachal Pradesh (now the State of Himachal Pradesh) with effect from the date of reorganisation of the State of Punjab i.e. the 1st November, 1966.

2. The Government of Himachal Pradesh reported in November, 1985 that the designatons of the above mentioned four employees had been wrongly shown in the above mentioned three orders dated the 31st May, 1968 and the same needed to be rectified by the Central Govrenment retrospectively with effect from the 1st November, 1966. After examining the relevant service records of employees cocnerned and being satisfied with the correctness of the position stated by the State Government, the Central Government amended the orders of the Ministry of Home Affairs dated the 31st May, 1968 vide their orders dated the 2nd March, 1989.

3. As a matter of policy, all the orders of allocation|reallocation of personnel, including amendments thereto issued under the provisions of Punjab Reorganisation Act, 1966, are given effect to from the date of re-organisation of the erstwhile composite State of Punjab viz. the 1st November, 1966. Therefore, the rectification of designations in the cases of above mentioned four employees is also required to be carried out from the 1st November, 1966.

4. On a reference from the Ministry of Law, the matter was brought to the notice of the Rajya Sabha Committee on Sub-ordinate Legislation. The Committee in its 81st Report directed the Central Govrenment that an Explanatory Memorandum stating the reasons and circumstances which necessitated giving of retrospective effect to the rules, may be appended with the orders issued in pursuance of the powers under the statute and that care should be taken to ensure that nobody is adversely affected by the orders of allocation issued under sub-section (2) of section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, including the amendment|corrigenda of the said orders. The Committee also directed that the copies of the Notification be circulated amongst the employees affected thereby who may be given three months time to point out discrepancies, if any. The Committee futher desired that the matter may, thereafter the brought to their notice.

5. The proposal to amend the orders of the Central Government finally allocating the above mentioned four employees to the Union territory (later State) of Himachal Pradesh was accordingly circulated among the employees likely to be affected by the proposed change in the designations and representations|objections were invited against the same within a period of three months. The objections received from two employees by the State Government, alongwith the comments of the State Government thereon, have been examined accordingly by the Central Government. The Central Government is satisfied that the objections are not against the rectification of designations by the proposed amendment to the orders dated the 31st May, 1968 of the Ministry of Home Affairs, referred to above, from a retrospective date but relate to other aspects like seniority, etc., and, as such, the amendment being given retrospective effect will not affect adversely any State Government employee.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994